छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
2020 का WP (227) नंबर 506

श्रीमती मनीषा सलोमन, पत्नी स्वर्गीय अर्नेस्ट कुमार सलोमन, वृद्ध 45 वर्ष, निवासी. क्वार्टर नंबर 5/एच, स्ट्रीट नंबर 82, सेक्टर-06, भिलाई नगर, तहसील एवं जिला-दुर्ग (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती कलावती सलोमन, पत्नी स्वर्गीय बी.के. सलोमन, उम्र लगभग 82 वर्ष, आर/ओ. गली क्रमांक 3 प्रगति नगर, रि1 साली, भिलाई, तहसील एवं जिला-दुर्ग (सी.जी.)

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से : श्री राकेश पाण्डेय, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत
बोर्ड पर आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21/01/2021

सुना गया।

1. प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस याचिका में चुनौती के तहत आदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (संक्षेप में "अधिनियम, 2007") के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है और यह सिविल कोर्ट नहीं है। इस न्यायालय के दिनांक 01.12.2015 के निर्णय पर भरोसा करते हुए, डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी बनाम डब्ल्यूपीसी संख्या 2113/2015 में पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने माना है कि राजस्व बोर्ड एक सिविल न्यायालय नहीं है, इसलिए, यह याचिका विचारणीय नहीं है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुतियाँ, प्रारंभिक आपत्ति और उस संबंध में प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ का विरोध करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई इसी तरह की याचिका पर सी.ओ. संख्या 3988/2017, मीता पांडा एवं अन्य बनाम मिनाती चक्रवर्ती एवं अन्य दिनांक 09.01.2019 को निर्णय दिया है, जिसमें यह माना गया था कि अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है और कुछ हद तक, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत न्यायाधिकरण की विलेख को शून्य घोषित करने की शक्ति, सिविल न्यायालय की शक्ति के बराबर है। भरण-पोषण, निवास का अधिकार देने की समान शक्ति को विभिन्न विधियों अर्थात् हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, आदि के तहत सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बराबर माना जा सकता है। इसलिए, ऐसे मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत

पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर कुमार भोई बनाम श्रीमती सुरेखा भोई, (2019) 3 सीजीएलजे 80 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए समान प्रश्न का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किया गया है, इसलिए, वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य है।

3. प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी (सुप्रा) में, राजस्व बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पेश की गई थी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए। डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी (सुप्रा) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने रजिस्ट्री द्वारा बताई गई चूक की विस्तृत जांच के बाद, कि याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की जानी चाहिए थी, यह माना गया कि राजस्व मंडल एक सिविल न्यायालय नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है। इसलिए, राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका, रखरखाव योग्य है। डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी (सुप्रा) में जो निष्कर्ष निकाला गया था, वह राजस्व परिषद के संबंध में था, जो एक प्राधिकारी के रूप में संहिता 1959 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है, उसे अधिनियम, 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण पर सीधे लागू नहीं कहा जा सकता है।

4. न्यायाधिकरण को अधिनियम, 2007 की धारा 2 (जे) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार न्यायाधिकरण का तात्पर्य अधिनियम, 2007 की धारा 7 के तहत गठित भरण-पोषण न्यायाधिकरण से है। अधिनियम, 2007 की धारा 7 में राज्य सरकार द्वारा भरण-पोषण न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। अधिनियम, 2007 की धारा 8(2) में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण के पास शपथ पर साक्ष्य लेने और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की खोज और उत्पादन के लिए बाध्य करने और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के सभी उद्देश्यों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। इस प्रकार, अधिनियम, 2007 के प्रावधान न्यायाधिकरण के गठन और सशक्तिकरण के लिए प्रावधान करते हैं, जिसे सिविल न्यायालय माना जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 अपने क्षेत्र के भीतर अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आदेश इस याचिका में चुनौती दी गई याचिका को रखरखाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है। इसलिए, यह तय करने का कोई सवाल नहीं है कि न्यायाधिकरण सिविल कोर्ट है या नहीं।

6. मीता पंडा (सुप्रा) में यह देखा गया है कि अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित न्यायाधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार द्वारा कवर किए जाते हैं। इसलिए, मुझे प्रतिवादी पक्ष द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार नहीं मिला।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया।

8. याचिका की योग्यता के आधार पर सुनवाई की।

9. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत लाई गई है, जिसमें कलेक्टर/अपील न्यायाधिकरण, दुर्ग, जिला- दुर्ग (सी.जी.) द्वारा विविध में पारित दिनांक 31.10.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। अपील प्रकरण क्रमांक 09/बी-121/वर्ष

2019-20, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के दिनांक 26.05.2020 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01 ए- 74/2019-20 में पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा अधिनियम, 2007 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के घर से बेदखल करने का निर्देश दिया गया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी की विधवा पुत्रवधू है, जो प्रश्नगत घर में अपने नाबालिग बच्चों के साथ रह रही है। यह विवादित नहीं है कि प्रश्नगत घर स्वर्गीय बी.के. सालोमन, जो प्रतिवादी का पति था, जिसका देहांत 05.12.2018 को हो गया। जिसके बाद, 24.04.2019 को घर प्रतिवादी के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अनुकंपा नियुक्ति मिली है। याचिकाकर्ता और उसके दिवंगत पति लंबे समय से प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से रह रहे थे।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी की बहू होने की हैसियत से साझा घर में संयुक्त निवास का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 3822/2020, श्रीमती एस वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला और अन्य में फैसला सुनाया है, जो एक समान मामला था जिसमें बहू को अपनी सास से संबंधित घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005') की धारा 2(एस) का संदर्भ दिया गया, जो साझा घर को परिभाषित करता है। यह देखा गया कि एक महिला को वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है, चाहे उसके पास साझा घर में कोई शीर्षक या अधिकार हो या न हो। बेदखली का आदेश अलग रखा गया और अपीलकर्ता को राहत दी गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह भी एक समान मामला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. प्रतिवादी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला- दुर्ग के समक्ष अपने बयान में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता उसकी बहू है और वह अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ प्रश्नगत घर में रह रही है। याचिकाकर्ताओं एवं अन्य ने न्यायालय अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दुर्ग के समक्ष प्रकरण क्रमांक 107-बी/2019 के रूप में पंजीकृत सिविल वाद प्रतिवादी एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रश्नगत मकान पर स्वामित्व की घोषणा एवं अन्य अनुतोष की मांग की गई है। इस सिविल वाद के प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिवादी ने दिनांक 26.07.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर अधिनियम, 2007 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की है, जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। 13. याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत मकान पर स्वामित्व का दावा किया है तथा साझे घर में निवास का अधिकार रखता है, अतः आक्षेपित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का आदेश दोनों ही संधारणीय नहीं है, अतः दोनों आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

14. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी उस मकान की स्वामिनी है, जो उसके पति की स्वअर्जित सम्पत्ति थी तथा उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसका स्वामित्व प्रतिवादी को प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ता प्रतिवादी की इच्छा के विरुद्ध जबरन मकान में रह रही है तथा उसने प्रतिवादी को अपने मकान से बेदखल कर दिया है। प्रतिवादी को विचाराधीन मकान में रहने का अधिकार है। प्रतिवादी एक वृद्ध महिला है, जो विधवा है तथा उसके ऊपर मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र का भी भार है। इस बेदखली के कारण उसे अन्य स्थान पर आश्रय लेना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा उद्धृत मामले के कानून

लागू नहीं होते। आरोपित आदेश आक्षेपणीय नहीं हैं, अतः प्रार्थना है कि इस याचिका को खारिज किया जाए।

15. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

16. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है कि भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों में बुजुर्गों की देखभाल करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, संयुक्त परिवार प्रणाली के खत्म होने के कारण बड़ी संख्या में बुजुर्गों की देखभाल उनके माता-पिता द्वारा नहीं की जा रही है।

17. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता की सास है। प्रतिवादी ने अधिनियम, 2007 की धारा 5 सहपठित धारा 22 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह बयान दिया गया कि वह विवादित घर की मालिक और अधिपत्यधारी थी। इस मामले में याचिकाकर्ता उसकी विधवा बहू है जो प्रतिवादी के भरण-पोषण का ध्यान नहीं रख रही है। इस याचिकाकर्ता ने विवादित घर पर जबरन कब्जा कर लिया है और प्रतिवादी को बेदखल कर दिया है, जिसके कारण उसे अन्यत्र शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भरण-पोषण के आदेश और याचिकाकर्ता को बेदखल करने के आदेश के लिए प्रार्थना की गई। इस याचिका का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया है। भरण-पोषण अधिकरण अर्थात न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भिलाई नगर, दुर्ग ने दिनांक 26.5.2020 को आदेश पारित किया, जिसमें भरण-पोषण दिए जाने का कोई आदेश नहीं है। तथापि, याचिकाकर्ता को विवादित मकान से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर एवं अपीलीय प्राधिकारी, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत अपील को उक्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या भरण-पोषण अधिकरण को बेदखली आदेश पारित करने का अधिकार है। भरण-पोषण अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 9, 10 एवं 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित कर सकता है, जो इस प्रकार हैं:

> '9. भरण-पोषण के लिए आदेश.-(1) यदि बच्चे या रिश्तेदार, जैसा भी मामला हो, किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करते हैं या इंकार करते हैं, जो स्वयं भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो न्यायाधिकरण ऐसी उपेक्षा या इंकार के बारे में संतुष्ट होने पर ऐसे बच्चों या रिश्तेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जैसा न्यायाधिकरण उचित समझे और उसे ऐसे वरिष्ठ नागरिक को देने का आदेश दे सकता है, जैसा न्यायाधिकरण समय-समय पर निर्देश दे। (2) ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अधिकतम भरण-पोषण भत्ता वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो दस हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
>
> 10. भत्ते में परिवर्तन.-(1) धारा 5 के तहत मासिक भत्ता पाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा तथ्य की गलत व्याख्या या गलती साबित होने या परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, उस धारा के तहत भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दिए जाने पर, न्यायाधिकरण भरण-पोषण भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। (2) जहां न्यायाधिकरण को यह प्रतीत होता है कि सक्षम सिविल न्यायालय के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप धारा 9 के तहत किए गए किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वह

आदेश को रद्द कर देगा या, जैसा भी मामला हो, तदनुसार उसमें परिवर्तन करेगा।

11. भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन।-(1) भरण-पोषण के आदेश की एक प्रति, जिसमें कार्यवाही के व्यय के संबंध में आदेश भी शामिल है, वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को, जैसा भी मामला हो, जिसके पक्ष में यह आदेश दिया गया है, बिना किसी फीस के दिया जाएगा और ऐसा आदेश किसी भी स्थान पर किसी भी न्यायाधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है, जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह आदेश दिया गया है, ऐसा न्यायाधिकरण पक्षकारों की पहचान और भत्ते का भुगतान न किए जाने या, जैसा भी मामला हो, देय व्यय के बारे में संतुष्ट होने पर लागू किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के तहत किए गए भरण-पोषण आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के तहत पारित आदेश के समान बल और प्रभाव होगा और उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए निर्धारित तरीके से निष्पादित किया जाएगा।

19. अधिनियम, 2007 की धारा 9, 10 और 11 के प्रावधानों के अवलोकन से यह पाया गया है कि भरण-पोषण न्यायाधिकरण के पास किसी भी विवादित घर से बेदखली का कोई आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। श्रीमती एस वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला और अन्य (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'15. भरण-पोषण न्यायाधिकरण (धारा 7 के तहत गठित) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 8(1) में दिए गए अनुसार संक्षिप्त प्रकृति की है और धारा 8(2) में दिए गए अनुसार सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ है। धारा 9 की उपधारा (1) के तहत, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है और बच्चे या रिश्तेदार, जैसा भी मामला हो, उनकी उपेक्षा करते हैं या भरण-पोषण करने से इनकार करते हैं, न्यायाधिकरण को उन्हें वरिष्ठ नागरिक के भरण- पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का आदेश देने का अधिकार है, जैसा न्यायाधिकरण उचित समझे। धारा 10 के तहत परिस्थितियों में बदलाव के साथ- साथ मासिक भत्ते की राशि में बदलाव किया जा सकता है।'

20. इसके अलावा, श्रीमती एस वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु शहरी जिला और अन्य (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले में पैराग्राफ 19 में महिलाओं के निवास के अधिकार पर चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है

'19. पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 2(एस) में 'साझा घर' की परिभाषा संपूर्ण है। हाल ही में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 2483/2020 में 15 अक्टूबर, 2020 को तय किए गए सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा भी इसे ऐसा ही माना गया है [सतीश चंद्र]।

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 की धारा 2(एस) में 'साझा घर' की परिभाषा दो भागों में है: परिभाषा के साधन भाग में 'साझा घर' का अर्थ है

(i) एक घर जिसमें पीड़ित व्यक्ति अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है;

(ii) किसी भी स्तर पर अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है। इसके बाद एक समावेशी तत्व है, ताकि ऐसे घर को कवर किया जा सके (i) चाहे वह पीड़ित व्यक्ति

और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो या (ii) उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों के पास संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक या इक्विटी हो। इसे एक समावेशी या विस्तारित अर्थ भी दिया गया है, जो एक ऐसे घर तक विस्तारित है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसका प्रतिवादी सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो या नहीं। समावेशी परिभाषा का अंतिम भाग साझा घर के अर्थ को उस स्थिति तक विस्तारित करने का इरादा रखता है जहां घर वास्तव में एक संयुक्त परिवार से संबंधित है, जिसका प्रतिवादी सदस्य है। विधानमंडल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हालांकि न तो प्रतिवादी, न ही ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो सकता है, फिर भी यह परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। परिभाषा की सरल भाषा को ऊपर जो अर्थ दिया गया है, वह सतीश चंद्र मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के अनुरूप है, जहां इसे इस प्रकार समझाया गया है:

"55... परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला, जो "मतलब" शब्द के बाद आता है और दूसरा जो "शामिल है" शब्द के बाद आता है। दूसरा भाग जो "शामिल है" के बाद आता है, उसे आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में लिखा है "साझा घर का अर्थ है एक घर जिसमें पीड़ित व्यक्ति अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहता है या किसी भी स्तर पर रहता है"। इस प्रकार, साझा घर के लिए पूरी की जाने वाली पहली शर्त यह है कि पीड़ित व्यक्ति घरेलू संबंध में रहता है या किसी भी स्तर पर रहता है। दो भागों में विभाजित है- (क) इसमें ऐसा घर शामिल है, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो और उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों का संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, हित या इक्विटी हो और (ख) इसमें ऐसा घर शामिल है, जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है, जिसका प्रतिवादी सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो। उपरोक्त परिभाषा में, दो अभिव्यक्तियाँ, अर्थात्, "पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" आई हैं। उपरोक्त परिभाषा से, निम्नलिखित स्पष्ट है:-

(i) यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति परिसर का संयुक्त रूप से या अकेले स्वामित्व रख सकता है या संयुक्त रूप से या अकेले किराए पर ले सकता है; (ii) घर संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसका प्रतिवादी सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो; और (iii) साझा घर या तो प्रतिवादी द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराए पर लिया जा सकता है। 'साझा घर' की परिभाषा के दायरे और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 के उद्देश्य और प्रयोजन पर ध्यान देने के बाद, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा: "अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 के साथ पढ़ी गई धारा 2(एस) साझा घर के तहत निवास के अधिकार के लिए महिला के पक्ष में अधिकार प्रदान करती है, भले ही उसका उसमें कोई कानूनी हित हो या न हो।" अभिव्यक्ति 'प्रतिवादी' को पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम 2005 की धारा 2 (क्यू) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

साझा घर' की परिभाषा के दायरे और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के उद्देश्य और प्रयोजन पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा: "अधिनियम, 2005 की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 17 और 19 के साथ धारा 2(एस) महिला को साझा घर के अंतर्गत निवास के अधिकार का अधिकार देती है, भले ही उसका उसमें कोई कानूनी हित हो या न हो।"

'प्रतिवादी' शब्द को 2005 के पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 2 (क्यू) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है: "(क्यू) "प्रतिवादी" का अर्थ है कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है और जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई राहत मांगी है:" उपरोक्त परिभाषा और धारा 2(एस) के प्रावधानों को देखते हुए, सतीश चंद्र में न्यायालय ने कहा:

"64... धारा 2(एस) में उल्लिखित साझा घर की परिभाषा यह संकेत नहीं देती है कि साझा घर वह होगा जो पति का है या पति द्वारा किराए पर लिया गया है। हमने अधिनियम के तहत "प्रतिवादी" की परिभाषा पर गौर किया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी पति का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। यदि साझा घर पति के किसी ऐसे रिश्तेदार का है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रहती है, तो धारा 2(एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं और उक्त घर साझा घर बन जाएगा।" पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि:

84...धारा 2(एस) में दी गई साझा घर की परिभाषा का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि साझा घर केवल वह घर हो सकता है जो संयुक्त परिवार का घर है जिसका पति सदस्य है या जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पति का हिस्सा है।'

21. इस निर्णय में आगे यह भी कहा गया कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 की धारा 36 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका उल्लंघन करेंगे। अधिनियम, 2007 निश्चित रूप से एक बाद का अधिनियम है और अधिनियम, 2007 की धारा 3 में अधिभावी प्रभाव का प्रावधान है, लेकिन यह उस महिला को वंचित नहीं करेगा जो पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के तहत साझा घर में अधिकार का दावा करती है। पैराग्राफ 21 में आगे कहा गया कि दोनों कानून सार्वजनिक कल्याण और हित के लाभकारी पहलुओं से निपटने के लिए हैं। साझा घर में एक महिला के अधिकार को मान्यता दी गई है, चाहे उसके पास साझा घर में कोई शीर्षक या अधिकार हो या न हो, इसलिए अधिनियम, 2007 में प्रावधान के अधिभावी प्रभाव की अनुमति देने से पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। दोनों अधिनियमों के बीच संघर्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचकर सुलझाया गया है कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के तहत उपाय पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस मामले में, प्रतिवादी पीड़ित व्यक्ति है। PWDV अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) एक घरेलू है प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के बीच मौजूद संबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अर्थ के अंतर्गत। इसी प्रकार, प्रतिवादी द्वारा अपने निष्कासन के संबंध में लगाया गया आरोप विवादित मकान की धारा 3 के अंतर्गत आता प्रतीत होता है पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005.

23. याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता को साझा घर में रहने का अधिकार है अधिनियम, 2005 के प्रावधान। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रतिवादी विवादित घर का स्वामित्व धारक है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के घरेलू संबंध से इनकार नहीं किया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा साझा घर में निवास के लिए कोई दावा या आवेदन नहीं किया गया है क्योंकि प्रस्तुत तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता वह व्यक्ति है जो विवादित घर का कब्ज़ा रखता है और उसी में निवास का आनंद ले रहा है और यह प्रतिवादी है जिसे बेदखल किया गया है और उसे अपने निवास के अधिकार का दावा करना है।

24. अधिनियम, 2007 में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि रखरखाव न्यायाधिकरण द्वारा घर से बेदखली की राहत का आदेश दिया जा सकता है। बेदखली की यह राहत निश्चित रूप से किसी भी सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। यहां तक कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 में भी इस तरह के निष्कासन के आदेश पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत निवास आदेश पारित किया जा सकता है। अधिनियम, 2005 की धारा 19 अधिक विस्तृत है, जिसे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

निवास आदेश -

(1) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, निवास आदेश पारित कर सकता है -

(ए) प्रतिवादी को साझा घर से पीड़ित व्यक्ति के कब्जे को बेदखल करने या किसी अन्य तरीके से बाधित करने से रोकना, चाहे प्रतिवादी का साझा घर में कानूनी या न्यायसंगत हित हो या न हो;

(बी) प्रतिवादी को साझा घर से खुद को हटाने का निर्देश देना;

(ग) प्रतिवादी या उसके किसी रिश्तेदार को उस साझा घर के किसी हिस्से में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है;

(घ) प्रतिवादी को साझा घर को अलग करने या उसका निपटान करने या उस पर भार डालने से रोकना;

(ङ) प्रतिवादी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना साझा घर में अपने अधिकारों का त्याग करने से रोकना; या

(च) प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के लिए उसी स्तर का वैकल्पिक आवास सुरक्षित करने का निर्देश देना जैसा कि साझा घर में उसे प्राप्त है या यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो उसके लिए किराया देने का निर्देश देना:

बशर्ते कि खंड (ख) के तहत कोई आदेश किसी भी महिला व्यक्ति के खिलाफ पारित नहीं किया जाएगा।

(2) मजिस्ट्रेट कोई अतिरिक्त शर्त लगा सकता है या कोई अन्य निर्देश पारित कर सकता है जिसे वह पीड़ित व्यक्ति या ऐसे पीड़ित व्यक्ति के किसी बच्चे की सुरक्षा या संरक्षण के लिए उचित रूप से आवश्यक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट प्रतिवादी से घरेलू हिंसा के निवारण के लिए जमानतदारों सहित या उनके बिना बंधपत्र निष्पादित करने की मांग कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन आदेश माना जाएगा और तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करते समय न्यायालय निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण देने या उसे या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को आदेश के क्रियान्वयन में सहायता करने का निर्देश देते हुए आदेश भी पारित कर सकता है।

(6) उपधारा (1) के तहत आदेश देते समय, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी पर पक्षों की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य भुगतानों के निर्वहन से संबंधित दायित्व लगा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) मजिस्ट्रेट उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से संपर्क किया गया है कि वह सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करे।

(8) मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को निर्देश दे सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति को उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा वापस कर दे, जिसकी वह हकदार है।'

25. वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से धारा 17 के तहत कार्यवाही नहीं है। पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत शिकायत को आगे बढ़ाने के द्वारा प्रतिवादी को राहत मिल सकती है, लेकिन यह समझाने का प्रयास किया गया है। बेदखली का आदेश भरण-पोषण अधिकरण यानी उप-विभागीय अधिकारी, भिलाई नगर, दुर्ग के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया है, वह अवैध है और कानून के अधिकार के बिना है क्योंकि भरण-पोषण अधिकरण द्वारा ऐसे आदेश पारित करने के लिए अधिनियम 2007 में ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है। इसलिए, मेरा यह विचार है कि आक्षेपित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

26. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश और उप-विभागीय अधिकारी, भिलाई नगर, दुर्ग के आदेश को रद्द किया जाता है।

एसडी/--
(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत) न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**